


3913-II-15 (11)

न्यायालय श्री मानू राजस्व मण्डल ग्यालियर मण्डल ,
द्वारा श्री मानू यम के सिद्ध शादय सदस्य



श्री मानू
15-12-15

रायस गर्ग तनय श्री गोपाल गर्ग निवासी मोहल्ला बोदावाग तहसील हुन्नूर

..... आवेदक

श्री..... को
द्वारा आज दि..... को
प्रस्तुत

जिला रोवा मण्डल

बनाम

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्यालियर

राजेश मिश्रा तनय श्री प्रमोद प्रसाद मिश्रा एवं अन्य .. सभी निवासी

उर्फ तहसील हुन्नूर जिला रोवा मण्डल अनपेक्षक गण

पुनर बिलोकन आवेदन पत्र 1177/ रिभ्यू / 2009 एवं 2012
एवं निर्णीत प्रकरण क्रम कि 905/ कर्ड / 2009-2012
आदेश दिनांक 06-03-2012

द्वारा श्रीमान

आवेदन पत्र बाबत बनाये जाने पक्षकार अन्तर्गत आवेदन
। नियम 10 ब्यो प्रो सद्विता ।

आवेदन पत्र

कोर्ट क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल

मान्यवर ,

आवेदन पत्र के आधार निम्न है :-

1- यह कि माननीय राजस्व मण्डल मे आवेदक के द्वारा निगरानी
दायर की गई थी जो निगरानी आवेदक को माननीय न्यायालय द्वारा
दिनांक 06-03-2012 को उारिज कर दी गई ।

2- यह कि विवाद ग्रस्त भूमियां प्रार्थी गंगा प्रसाद सावेत की
वैयक्तिक भूमियां है और आवेदक के द्वारा जब यह प्रकरण तहसील न्यायालय
में दायर किया था उस समय भी प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया इसके

2-12-15

W/ger

02.12.15

गंगा प्रसाद सावेत

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 3913-दो/15 जिला- रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
5-7-17	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित होकर वकालतनामा एवं आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि यह आवेदन पक्षकार बनने के लिये दिया था लेकिन दायरा शाखा के क्लर्क द्वारा त्रुटि से रिव्यु में दर्ज कर लिया गया है।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा पूर्व में जो 1/10 का आवेदन पक्षकार बनाये जाने हेतु दिया गया था जिसका प्रकरण क्रमांक रिव्यु 1777-दो/12 था जिसमें आदेश दिनांक 6.12.16 को हो चुका है।</p> <p>3- श्री सेंगर द्वारा प्रकरण नोट प्रेस में समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। अतः आवेदक अधिवक्ता श्री सेंगर का अनुरोध स्वीकार किया जाता है, तथा प्रकरण न चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p>	

सदस्य

M